

(Covid-19)अत्यावश्यक-जर्ज/ई-मेल
कार्यालय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,कोटा

क्रमांक:

दिनांक:15/04/2020

:: कार्यालय आदेश ::

"Novel Corona Virus (Covid-19)" के प्रसार को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दि.03/05/2020 तक सम्पूर्ण देश में बन्द (Lock Down) पूर्व आदेश के अनुसरण में बढ़ाया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक डाउन (Lock Down) को बढ़ाने तथा संशोधित करने के सम्बन्ध में आदेश प्रदान किये गये हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिपत्र सं.14/पीआई/2020 दि.14/04/2020 द्वारा समस्त पूर्व दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में अधीनस्थ न्यायालय/विशिष्ट न्यायालय एवं समस्त अधिकरण(Tribunals) के सम्बन्ध में दि.03/05/2020 या "Till further orders" तक दिशानिर्देश प्रदान किये हैं, जिसके अनुसरण में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा ने अपने आदेश क्रमांक प.जि.न्याया/स्था./2020/ईए/77 दि.14/04/2020 द्वारा कोटा मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश/पारिवारिक न्यायाधीश/विशिष्ट न्यायाधीश/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तरीय न्यायालयों/अधिकरणों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए चिन्हित न्यायालयों को प्रभार/ड्यूटी सौंपी है।

उक्त स्थिति में सभी सम्बन्धित पक्षकार, अधिवक्तागण, प्रतिनिधिगण एवं सर्वसाधारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 15/04/2020 से दिनांक 01/05/2020 तक के सभी कार्यदिवस हेतु एक साथ पेशी दिया जाना उचित है जो निम्नानुसार दी जाती हैं:-

क्रमांक	तारीख पेशी	नियत आगामी तारीख पेशी
01-	15/04/2020	12/05/2020
02-	16/04/2020	13/05/2020
03-	17/04/2020	14/05/2020
04-	20/04/2020	18/05/2020 (सोमवार-ईसीसी प्रकरण)
05-	21/04/2020	19/05/2020
06-	22/04/2020	20/05/2020
07-	23/04/2020	21/05/2020
08-	24/04/2020	22/05/2020
09-	27/04/2020	01/06/2020 (सोमवार-ईसीसी प्रकरण)
10-	28/04/2020	26/05/2020
11-	29/04/2020	27/05/2020
12-	30/04/2020	28/05/2020
13-	01/05/2020	29/05/2020

उक्त अवधि में अति आवश्यक प्रकृति का वाद/प्रकरण/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की सूरत में आवश्यक कार्य हेतु इस न्यायालय के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर/रीडर श्री गुलाबचन्द श्रृंगी को नियुक्त किया जाता है। श्रीमती ममता भटनागर, वरिष्ठ लिपिक उनका सहयोग करेंगी। सभी सम्बन्धित पक्षकार, अधिवक्तागण, प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण एवं सर्वसाधारण को उक्तानुसार सूचित हो। उक्त अवधि में अति आवश्यक न्यायिक कार्य तथा अन्य प्रकार के सभी कार्यों के लिए पीठासीन अधिकारी अपने राजकीय निवास के.आर.21, सिविल लाईन्स, कोटा पर उपलब्ध रहेंगे। इस न्यायालय की कार्यालय वेबसाईट एवं अधिकारी/कर्मचारी को सूचना हेतु निम्न नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है:-

पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश श्री विक्रान्त गुप्ता मोबाईल नं.8233777755

1-कार्यालय/न्यायालय की वेबसाईट:- lc-kot-rj@hcraj.nic.in


2-श्री गुलाबचन्द श्रृंगी, एडि.एड.ओफिसर/रीडर- मोबाईल एवं वाट्सएप नं.9413735160

3-श्रीमती ममता भटनागर, वरिष्ठ लिपिक- मोबाईल एवं वाट्सएप नं.9461009061

/2/

पूर्व प्रसारित आदेशों के अनुसरण में अत्यावश्यक कार्य करने हेतु नियत स्टाफ के अलावा शेष स्टाफ कार्यालय समय में **Work from home** के उद्देश्य से अपने निवास पर उपलब्ध रहेंगे और मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में सभी पूर्वादेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे। सभी कर्मचारीगण उक्तानुसार सूचित हों तथा उक्तानुसार पेशियां अविलम्ब आज ही CIS/ WEBSITE पर अपलोड की जावें जिससे किसी को भी असुविधा ना हो।



न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण
एवं श्रम न्यायालय, कोटा,
आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, बारां, बूंदी, झालावाड़
मुख्यालय, कोटा(राजस्थान) 


क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2-संयुक्त सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3-श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, हसनपुरा शान्ति नगर, जयपुर।
- 4-संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा।
- 5-कार्यालय प्रति।





न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण
एवं श्रम न्यायालय, कोटा,
आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, बारां, बूंदी, झालावाड़
मुख्यालय, कोटा(राजस्थान) 

क्रमांक: 138-34 दिनांक: 15-4-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी अविलम्ब प्रेषित हो :-

- 1-माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2-अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा।
- 3-नोटिस बोर्ड



न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण
एवं श्रम न्यायालय, कोटा,
आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, बारां, बूंदी, झालावाड़
मुख्यालय, कोटा(राजस्थान) 

2/65
15-4-20